

अशासकीय पत्र संख्या-1/शा0/95/2019-1/44/2019
लखनऊ: दिनांक: - 28 मार्च, 2020

16वां आवंटन
अनुदान संख्या-61
लेखाशीर्षक-3604196030301-28

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-20/2020/बी-2-79/दस-2020-2/2019 पंचायती राज अनु0-3 की पत्रा.सं0-100(15)/2015टी0सी0 दिनांक 27 मार्च, 2020 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 में पंचायतीराज संस्थाओं हेतु व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रू0-5800.00 करोड़ में से जिला पंचायतों की धनराशि रू0 2320.00 करोड़ के सापेक्ष ए0टी0आर0 में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन की 5 प्रतिशत धनराशि रू0 116.00 करोड़ (रू0 एक सौ सोलह करोड़ मात्र) संलग्न सूची में इंगित विवरण के अनुसार ऑडिट कराने वाली जिला पंचायतों को दिये जाने की उक्त शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2020 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी हैं:-

1- जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में ऑडिट कराने वाली जिला पंचायतों के लिए आवंटित धनराशि के अनुसार कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर ई-पेमेन्ट के द्वारा संबंधित जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई-पेमेन्ट द्वारा सीधे जिला पंचायतों का बैंक खाता एवं आई0एफ0एस0डी0 कोड जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

2-आडिट अनुशासन की धनराशि हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित निकायों की पात्रता का दायित्व उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का होगा।

3- आवंटित की जा रही धनराशि उपभोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

4-इस धनराशि को जिला पंचायतों के मध्य संस्तुति संख्या-55 के अनुसार वितरित किया जायेगा।

5-धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आहरण की सूचना वाउचर संख्या व दिनांक सहित पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा धनराशि के उपभोग की समीक्षा नहीं की जाती है। पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ स्वीकृत आवंटित धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

7- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन" के नामे डाला जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-63 पर अंकित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(किंजल सिंह)
निदेशक,

पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या:-1/शा0/95/1/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0 प्र0 शासन।
- 2-विशेष सचिव, वित्त संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3-विशेष सचिव वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 27.03.2020 के क्रम में।
- 4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 6-निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) इन्दिरा भवन दसवां तल लखनऊ।
- 7-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
- 8-वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज-211001
- 9-उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोषक, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
- 10-उपनिदेशक (पं0)/योजना प्रभारी, राज्य वित्त आयोग, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- 11-एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।

